राजस्थान सरकार

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:— 158/2020 (2020/00028)

वादीगण:—

1. विशनाराम पुत्र श्री पदमाराम
2. अनाराम पुत्र श्री पदमाराम
3. चुनाराम पुत्र श्री पदमाराम
4. मुल्तानराम पुत्र श्री पदमाराम

सभी जातियान जाट निवासी डाबड़ी

तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:—

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक ओसियां।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत्

उपस्थित —

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पेंपसिंह भाटी।
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय।

—::निर्णय::—

दिनांक:— 1/12/2022

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व रेकर्ड दुरस्ती का इस आशय का पेश किया कि— ग्राम डाबड़ी पटवार क्षेत्र बेरड़ों का बास तहसील ओसियां जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 62/5 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 62/3 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, कुल खसरा 2 कुल रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम की संयुक्त खातेदारी की हुई है। उपर्युक्त खसरान की भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की है तथा शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। वादी संख्या 1 दो नामों से

सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned with CamScanner

जाना जाता है। घरेलू बोलचाल का नाम बेनाराम है तथा बाहरी बोलचाल का नाम विशनाराम है दोनों नाम वादी संख्या 1 के ही है दो नामों का अलग-अलग व्यक्तियों नहीं है। राजस्व रेकर्ड ग्राम डाबड़ी की जमाबन्दी में बोलचाल का नाम बेनाराम पि. पदमाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। इसलिए ग्राम डाबड़ी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का गलत नाम बेनाराम के स्थान पर सही नाम सरकारी दस्तावेज अनुसार विशनाराम दर्ज कर खातेदार घोषित करवाने के लिए यह दावा पेश है। उक्त ग्राम डाबड़ी की उपरोक्त वर्णित खसरान के राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 के घरेलु बोलचाल का गलत नाम बेनाराम दर्ज होने के कारण उक्त खसरान की भूमि का विभाजन करने, भूमि सम्बन्धी विकास कार्य व अन्य किसी तरह की कार्यवाही करने में कठिनाईयां होने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का नाम बेनाराम पि. पदमाराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र श्री पदमाराम के नाम की खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने हेतु यह वाद पेश है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम डाबड़ी पटवार क्षेत्र बेरडों का बास तहसील ओसियां के खेत खसरा नम्बर 62/5 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 62/3 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, कुल खसरा 2 कुल रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा, में वादी संख्या 1 का नाम बेनाराम पि. पदमाराम के स्थान पर सही नाम विशनाराम पि. पदमाराम के नाम खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस भेजे गये। तामिल सुदा नोटिस प्राप्त हुए जो संलग्न पत्रावली है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित रहे न्यायालय समय में तीन बार रूक-रूक कर आवाजे लगाई गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से असालतन या वकालतन कोई उपस्थित नहीं आये, अतः प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार ओसियां ने इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार ओसियां ने अपने जवाब में बताया कि राजस्व रेकर्ड ग्राम डाबड़ी की चालु जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का नाम खातेदार के रूप में बेनाराम पि. पदमाराम दर्ज है। प्रार्थी/वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, अन्य जमाबन्दियो में सही नाम विशनाराम पि. पदमाराम दर्ज है। ग्राम डाबड़ी के राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी व अन्य स्वयं के दस्तावेज व ग्राम केरलानाडा,

Scanned with CamScanner

कस्वानगर की जमाबन्दियों में दर्ज नाम में अन्तर है। अतः वादी/प्रार्थी का नाम ग्राम डाबड़ी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बेनाराम पि. पदमाराम के स्थान पर विशनाराम पि. पदमाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम डाबड़ी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 62/5 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 62/3 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, में वादी संख्या 1 का नाम बेनाराम पि. पदमाराम दर्ज है जो गलत है, सही नाम विशनाराम पि. पदमाराम किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी/वादी का वाद पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होने से सरकारी पैरोकार के इकबालिया जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वाद पत्र को बल मिलता है, वादी के वाद पत्र का खण्डन नहीं किया गया है। मैंने पक्षकारान की बहस व पत्रावली का अध्ययन कर मनन किया, वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझता हूँ। अतः ग्राम डाबड़ी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 62/5 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 62/3 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 का नाम बेनाराम पि. पदमाराम के स्थान पर विशनाराम पि. पदमाराम खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है, तहसीलदार ओसियां को आदेशित किया जाता है कि वादी का नाम बेनाराम पि. पदमाराम के स्थान पर विशनाराम पि. पदमाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड शुद्ध किया जावें, पूर्व अशुद्ध नाम अनुसार भूमि रहन यथावत रहेगा।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

निर्णय आज दिनांक 1/12/2020 को खुला न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसिया

Scanned with CamScanner